

**अनुदान संख्या 69 - कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय**  
**GRANT No. 69-MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**

	कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-	
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
प्रभारित-	<i>Charged-</i>			
मूल	<i>Original</i> 7,61,00	9,85,00	9,75,59	-9,41
पूरक	<i>Supplementary</i> 2,24,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>			3,02
स्वीकृत-	<i>Voted-</i>			
मूल	<i>Original</i> 320,88,00	327,35,00	306,45,52	-20,89,48
पूरक	<i>Supplementary</i> 6,47,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>			13,97,38
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
प्रभारित-	<i>Charged-</i>	9,00,00	9,00,00	. .
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>			शून्य Nil
स्वीकृत-	<i>Voted-</i>	28,51,00	14,30,39	-14,20,61
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>			13,84,68

**टीका और टिप्पणियां**

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (2089.48 लाख रु.) अगस्त, 2007 और मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 647.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 6 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

**Notes and comments**

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.2089.48 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.647.00 lakhs obtained in August, 2007 and March, 2008 and constituted 6 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-	
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)			
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"				
सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Secretariat - General Services				
मू.	O.	5517.00	4857.05	4551.83	
पु.	R.	-659.95			-305.22
मुख्य शीर्ष "2055"	Major Head "2055"				
पुलिस	Police				
मू.	O.	13440.00	13985.58	13911.57	
पू.	S	646.00			-74.01
पु.	R.	-100.42			
मुख्य शीर्ष "2070"	Major Head "2070"				
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services				
मू.	O.	8102.00	7307.69	7076.96	
पू.	S.	1.00			-230.73
पु.	R.	-795.31			

(I) 501.00 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 500.00 लाख रु. मुख्य शीर्ष "2070" - "प्रशिक्षण" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) "लोक प्रशासन में क्षमता निर्माण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम परियोजना" - 300.00 लाख रु. परियोजना को बंद कर दिए जाने के कारण थे।

(खा) "परियोजना मूल्यांकन के लिए क्षमता निर्माण" - 200.00 लाख रु. समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों को एक चालू स्कीम "सभी के लिए प्रशिक्षण" के अंतर्गत चलाए जाने के निर्णय के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "2052" - "सचिवालय - कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय" के अंतर्गत 965.06 लाख रु. की बचत (5476.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की

(I) Provision of Rs.501.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these Rs.500.00 lakhs accounted for under Major Head "2070" - "Training" - under the following heads:-

(A) "UNDP Project for capacity building in Public Administration" - Rs.300.00 lakhs - due to discontinuance of project.

(B) "Capacity Building for Project Appraisal" - Rs.200.00 lakhs - due to the decision of club to run all training programmes under one ongoing scheme "Training for All".

(II) Under Major Head "2052" - "Secretariat - Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions" - saving of Rs.965.06 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5476.00 lakhs) was

तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, सीएसओआई भवन के निर्माण कार्य में विलंब होने और परियोजना की निबंधन और शर्तों का संशोधन होने की वजह से सीजीजी एवं एएससीआई परियोजना के प्रारंभ न किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “2055” - “आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता - इंटरपोल और समन्वय स्कंध” के अंतर्गत 150.27 लाख रु. की बचत (430.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “2070” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “प्रशिक्षण” -

(क) “लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी” - 159.00 लाख रु. की बचत (1432.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को अधिकृत की गई राशि का उपयोग न किए जाने और सीमित निविदा जांच के माध्यम से वस्तुओं/मशीनरी की अधिप्राप्ति के मूर्तरूप न लेने के कारण हुई।

(ख) “अन्य प्रशिक्षण स्कीमें” - 214.31 लाख रु. की बचत (4066.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के रद्द हो जाने, मेलबोर्न विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन स्वीकार न किए जाने और दीर्घावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिकारियों के भाग न लेने के कारण हुई।

(खा) “अन्य व्यय - केंद्रीय सूचना आयोग” - 128.25 लाख रु. की बचत (650.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किराए, अनुरक्षण प्रभारों में वार्षिक वृद्धि को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने, योजना स्कीमों को लागू किए जाने और उच्च प्रोफाइल वकीलों को न लगाए जाने के कारण हुई।

2. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें

due to non-filling up of vacant posts, delay in construction work of CSOI building and non-commencement of CGG and ASCI Project owing to revision of terms and conditions of the project.

(III) Under Major Head “2055” - “Criminal Investigation and Vigilance - Interpol & Co-ordination Wing” - saving of Rs. 150.27 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.430.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(IV) Under Major Head “2070” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Training”-

(a) “Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration” - saving of Rs.159.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1432.00 lakhs) was due to non-utilisation of amount authorised to Central Public Works Department and non-materialisation of procurement of goods/machinery through limited tender enquiry.

(b) “Other Training Schemes” - saving of Rs.214.31 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 4066.00 lakhs) was due to cancellation of short term training programmes, non-acceptance of nominations by University of Melbourne and non-participation of officers in long term training programmes.

(B) “Other Expenditure - Central Information Commission” - saving of Rs.128.25 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 650.00 lakhs) was due to delay in finalisation of annual increase in rent, maintenance charges, implementation of plan schemes and non-engagement of high profile lawyer.

2. In the voted portion of the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत-
				Saving-
				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works			
मू.	O.	1750.00		
पु.	R.	-1384.68	365.32	330.39
				-34.93

निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

(I) Under "General - Construction" – savings occurred under the following heads:-

(I) "सामान्य - निर्माण" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(A) "Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration – saving of Rs.1194.92 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to non-execution of construction work by Central Public Works Department.

(का) "लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी" - 1194.92 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य का निष्पादन न किए जाने के कारण हुई।

(B) "Central Information Commission" – saving of Rs.224.69 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 250.00 lakhs) was due to delay in obtaining approval of the competent authority.

(खा) "केंद्रीय सूचना आयोग" - 224.69 लाख रु. की बचत (250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब होने के कारण हुई।